

किसान पंजीकरण के लिए आवेदन प्रारूप

(व्यक्तिगत किसान के लिए प्रारूप)

किसान
का फोटो
चिपकाएँ

सेवा में

क्षेत्रीय परिषद का नाम

राज्य

विषय:- पी.जी.एस.-इंडिया कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत किसान के पंजीकरण के लिए अनुरोध।

महोदय,

मैं अपनी उपज के लिए जैविक भागीदारी गारंटी प्रणाली विकसित करने के लिए व्यक्तिगत किसान के रूप में पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ।

व्यक्तिगत किसान का नाम

जैविक में शामिल किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर):

व्यक्तिगत किसान ने आवेदन और पीजीएस प्रतिज्ञा पहले ही प्राप्त और अपलोड कर दी है।

सभी प्रकार से पूर्ण कृषि इतिहास पत्रक व्यक्तिगत किसान पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं।

- मैं व्यक्तिगत रूप से घोषणा करता हूँ कि:
- मैंने पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और घोषित करता हूँ कि मैं पीजीएस-इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल के तहत निर्दिष्ट सभी गतिविधियों को करने की स्थिति में हूँ।
- मैंने पीजीएस-इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल और पीजीएस-इंडिया स्टैंडर्ड्स की प्रति प्राप्त कर ली है और समझ लिया है।
- मैं यह सुनिश्चित करने का वचन देता / देती हूँ कि पीजीएस-इंडिया दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगा / करूंगी।
- मैंने पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और सहकर्मी समीक्षकों के रूप में कार्य करने की स्थिति में हूँ।
- मैं पास के स्थानीय समूह/आरसी/हितधारकों के साथ कम से कम दो माह में एक बार (साल में कम से कम 6 बार) बैठकें आयोजित/सांझा करने का वचन देता/देती हूँ।
- मैं पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के समय-समय पर जारी क्षेत्रीय परिषद के निर्देश/दिशानिर्देश का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
- मैं क्षेत्रीय परिषद के निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं और कार्यक्रम का छवि निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
- मैं प्रशासनिक उद्देश्य के लिए सभी दस्तावेजी आवश्यकतानुसार जब भी आवश्यकता होगी पूरा करूंगा/करूंगी। पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार प्रमाणन दल का विवरण (आरसी/हितधारकों के साथ गठित) हर मौसम में क्षेत्रीय परिषद को सूचित किया जाएगा। पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए मेरे पास आवश्यक सुविधाएं और क्षमताएं उपलब्ध हैं और यह मेरे द्वारा किया जाएगा।

या

मैं क्षेत्रीय परिषद से अनुरोध करता/करती हूँ कि कृपया ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करें और इसके लिए मैं सभी विवरण क्षेत्रीय परिषद को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएंगे (केवल वही जो किसी योजना के अधीन नहीं है)।

- अतः अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिकृत व्यक्तिगत किसान के रूप में स्वीकार करें और मुझे आवश्यक पंजीकरण, यूजर आईडी और पास वर्ड आदि प्रदान करें।

हस्ताक्षर

किसान का नाम

जैविक प्रतिज्ञा

मैं पुत्र/पुत्री
गाँव ब्लॉक जिला
राज्य से ताल्लुक रखता/रखती हूँ और घोषित करता/करती हूँ कि:

- मैं फसल उत्पादन और पशुधन पालन/प्रसंस्करण में पीजीएस जैविक मानकों का पालन करूंगा/करूंगी ताकि मिट्टी, पर्यावरण, फसलों, पशुधन, मेरे परिवार और समुदाय के दीर्घकालिक स्थिरता, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सिंथेटिक इनपुट मुक्त उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। मुझे पीजीएस मानकों और स्थानीय समूह संचालन मैनुअल की एक प्रति प्राप्त हुई है।
- मैं पीजीएस कार्यक्रम के तहत लाए गए अपने कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सिंथेटिक इनपुट (जैसे रासायनिक कीटनाशक, कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी, रासायनिक उर्वरक, विकास नियामक और सिंथेटिक हार्मोन आदि) का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।
- मैं पशुधन सहित अपने पूरे खेत संचालन को जैविक (या 24 महीने की अवधि के भीतर) के तहत लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
- मैं किसी भी ऑफ-फार्म उत्पाद का उपयोग करने से पहले जिसकी जैविक स्थिति के बारे में अनिश्चित हूँ। क्षेत्रिय परिषद/स्थानीय समूह/ऑंचलिक परिषद से जानकारी प्राप्त करूंगा/करूंगी।
- मैं अपने साथी किसानों/गांव के साथ स्थानीय समूह में या व्यक्तिगत रूप से मानकों और जैविक उत्पादन तकनीकों के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार और साझा करने के लिए बैठकों और प्रशिक्षणों में भाग लूंगा/लूंगी व काम करूंगा/करूंगी।
- मैं फसल चक्र, जैविक खाद, कवर फसल और हरी खाद जैसे पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता का निर्माण करने के लिए काम करूंगा/करूंगी।
- मैं अपने पशुओं की देखभाल इस तरह से करूंगा/करूंगी जिससे पीजीएस जैविक मानकों के पूर्ण अनुपालन में उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके।
- मैं केवल हमारे जैविक उत्पादों की कटाई, परिवहन और बेचने के लिए केवल स्वच्छ और स्पष्ट रूप से जैविक लेबल वाले बैग और कंटेनरों का उपयोग करूंगा/करूंगी।
- मैं उपयुक्त बफर और अन्य माध्यमों से संदूषण को रोकने के लिए काम करूंगा/करूंगी।
- मैं अपनी कृषि प्रणाली के माध्यम से जैव विविधता को प्रोत्साहित करूंगा/करूंगी।
- मैं उत्पादों को जैविक के रूप में तभी बेचूंगा/बेचूंगी जब वे प्रमाणित भूमि पर उगाए गए हों, और पीजीएस जैविक मानकों के अनुसार उगाए गए हों।
- मैं यह सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री के दौरान फार्म पर गैर-जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों के साथ जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों का कोई संदूषण या मिश्रण न हो।
- मैं अपनी प्रमाणन स्थिति के संबंध में क्षेत्रिय परिषद/स्थानीय समूह/गाँव के निर्णय को स्वीकार करने के लिए सहमत हूँ।
- मैं समूह मानदंडों के अनुसार अन्य फार्मों के मूल्यांकन में भाग लूंगा/लूंगी।
- मैं अपने खेत पर जैविक मानकों का मामूली या अनजाने में गैर-अनुपालन भी अपने स्थानीय समूह/आरसी/सहकर्मी निरीक्षण समिति को रिपोर्ट करूंगा/करूंगी।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र और फार्म हिस्ट्री शीट में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) के दौरान मैं पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षकों) के साथ पूरा सहयोग करूंगा/करूंगी। और अपने और अपने परिवार के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए सही जानकारी प्रदान करूंगा/करूंगी और प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी बदलाव के साथ मैं अपनी जानकारी को अपडेट रखूंगा/रखूंगी।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

किसान का नाम

नोट: प्रत्येक व्यक्तिगत किसान के लिए इस जैविक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना और इसे रिकॉर्ड करना अनिवार्य है।

किसान का व्यक्तिगत विवरण:-

1	किसान का नाम :	
2	पिता/पति का नाम :	
3	12 अंकों की आधार संख्या :	
4	श्रेणी (जनरल/ओबीसी/एससी/एसटी) :	
5	किसान की आयु :	
6	लिंग (पुरुष/महिला) :	
7	मोबाइल :	
8	बैंक खाते का नाम :	
9	बैंक खाता संख्या :	
10	बैंक IFSC कोड :	
11	ईमेल आईडी :	

सरकार द्वारा जारी किसी भी आईडी कार्ड के अनुसार पता:-

1	जिला	
2	खंड	
3	उप जिला	
4	गांव/शहर	
5	घर का नंबर	
6	सीमा चिन्ह	

पंजीकरण के लिए

1. प्रमाणन पंजीकरण (खेत फसलों/लाइव स्टॉक) के लिए

किसान भूमि और अन्य जानकारी

- कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- जैविक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित (हेक्टेयर)
- भू-स्वामित्व (किराए पर/स्वयं/पट्टा)
- प्लॉट संख्या : प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- खसरा नं. अक्षांश में डी.डी. देशांतर में डी.डी.
- खसरा नं. अक्षांश में डी.डी. देशांतर में डी.डी.
- खसरा नं. अक्षांश में डी.डी. देशांतर में डी.डी.
- खसरा नं. अक्षांश में डी.डी. देशांतर में डी.डी.
- पशुधन विवरण: नाम (गाय/भैंस/भेड़/मुर्गी/आदि.)
और इसकी संख्या
- सिंचित भूमि असिंचित भूमि
- अपनाई गई सिंचाई के तरीके:
- मशीनरी और उपकरण का नाम/उपकरण विवरण
- गोदाम/भंडारण इकाई की संख्या यदि मौजूद है
- गोदाम/भंडारण इकाई की क्षमता
- कम्पोस्ट/खाद बनाने की सुविधा का नाम और इसका उत्पादन
मात्रा टन/वर्ष
- रासायनिक/निषिद्ध पदार्थों के प्रयोग की अंतिम तिथि
- प्रसंस्करण सुविधा का नाम यदि मौजूद है
- यदि कोई अन्य सुविधा विवरण

विवरण	ग्रीष्म ऋतु ; फसल उत्पादन और प्रक्रियाएँ (पिछले एक वर्ष का विवरण आवश्यक है)				
खेती की जाने वाली फसलों के नाम					
क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
उर्वरक (रासायनिक/जैव उर्वरक) प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायन उर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए बैग की संख्या	वजन प्रति बैग (किलो/बैग)	प्रयुक्त जैवउर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए/पैकेट/बोतलें, बैग की संख्या	प्रयुक्त प्रति/पैकेट/बोतल प्रयुक्त बैग (लीटर/किग्रा)
पौध संरक्षण प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायनों का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)	उपयोग किया गया वनस्पति अर्क का नाम मात्रा	मात्रा (किग्रा/लीटर)	उपयोग किया गया जैव कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)
कोई अन्य उपयोग किया गया इनपुट (खाद/हरी खाद/वर्मीवाश/आईटीके आदि)					
इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)

विवरण	बरसात का मौसम ; फसल उत्पादन और प्रक्रियाएँ (पिछले एक वर्ष का विवरण आवश्यक है)				
खेती की जाने वाली फसलों के नाम					
क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
उर्वरक (रासायनिक / जैव उर्वरक) प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायन उर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए बैग की संख्या	वजन प्रति बैग (किलो / बैग)	प्रयुक्त जैवउर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए / पैकेट / बोतलें, बैग की संख्या	प्रयुक्त प्रति / पैकेट / बोतल प्रयुक्त बैग (लीटर / किग्रा)
पौध संरक्षण प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायनों का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया वनस्पति अर्क का नाम मात्रा	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया जैव कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)
कोई अन्य उपयोग किया गया इनपुट (खाद / हरी खाद / वर्मीवाश / आईटीके आदि)					
इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)

विवरण	रबी सीजन ; फसल उत्पादन और प्रक्रियाएँ (पिछले एक वर्ष का विवरण आवश्यक है)				
खेती की जाने वाली फसलों के नाम					
क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
उर्वरक (रासायनिक / जैव उर्वरक) प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायन उर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए बैग की संख्या	वजन प्रति बैग (किलो / बैग)	प्रयुक्त जैवउर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए / पैकेट / बोतलें, बैग की संख्या	प्रयुक्त प्रति / पैकेट / बोतल प्रयुक्त बैग (लीटर / किग्रा)
पौध संरक्षण प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायनों का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया वनस्पति अर्क का नाम मात्रा	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया जैव कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)
कोई अन्य उपयोग किया गया इनपुट (खाद / हरी खाद / वर्मीवाश / आईटीके आदि)					
इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)

विवरण	विवरण पता और टिप्पणियाँ
अनुमोदन करने वाली एजेंसी का नाम (राज्य सरकार प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिषद/स्थानीय पीजीएस समूह)	
अनुमोदित किए जा रहे व्यक्ति का नाम	
अनुमोदन की तिथि	
व्यक्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम लेने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं	हाँ/नहीं
व्यक्तिगत किसान पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करता है और जैविक के लिए पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा किया जाता है।	हाँ/नहीं
किसान पीजीएस मानकों, परिचालन आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) कर सकता हैं।	हाँ/नहीं
कृपया विवरण प्रदान करें कि व्यक्ति किस प्रकार से ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का कार्य करने का प्रस्ताव करता है।	स्वामित्व/एसपी/एफए/राज्य सरकार की एजेंसी/क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से

मैं/हम (अनुमोदक का नाम और पता) आश्वस्त है/हैं कि व्यक्तिगत किसान जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पीजीएस-इंडिया परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा पीजीएस-इंडिया मानकों और सहकर्मी मूल्यांकन रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ है और पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक गारंटी योजना की कार्यान्वयन रणनीति को आगे बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत किसान को जानते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। अतः पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रदान करने हेतु अनुमोदन करते हैं।

तारीख

हस्ताक्षर

स्थान

(अनुमोदक का नाम और पता)

जी पी एस निर्देशांक के साथ फार्म/फील्ड मानचित्र का फोटो

क्षेत्रीय परिषद के साथ स्थानीय समूह (एल.जी.) पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा

.....
 (क्षेत्रीय परिषद का नाम)
 पता

विषय:- पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय समूह के पंजीकरण के लिए अनुरोध।

महोदय,

हम (स्थानीय समूह का नाम और पता) के सदस्य, हमारी उपज के लिए जैविक भागीदारी गारंटी प्रणाली विकसित करने के लिए स्थानीय समूह के रूप में पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक हैं। समूह का विवरण इस प्रकार है:

समूह का नाम

किसानों की कुल संख्या (किसानों की सूची संलग्न करें, प्रत्येक सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)

कवर किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल

व्यक्तिगत किसान सदस्यों के संबंध में आवेदन और पीजीएस प्रतिज्ञा की प्रति क्रमांक से पर संलग्न है।

प्रत्येक किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी प्रकार से पूर्ण फार्म हिस्ट्री शीट क्रमांक से पर संलग्न है।

हम (स्थानीय समूह का नाम) के सदस्य सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से घोषणा करते हैं कि:

- हमने पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और घोषणा करते हैं कि समूह स्थानीय समूह की सभी गतिविधियों को करने की स्थिति में है, जैसा कि पीजीएस-इंडिया परिचालन मैनुअल के तहत निर्दिष्ट है।
- हमने पीजीएस-इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल और पीजीएस-इंडिया स्टैंडर्ड्स की कॉपी प्राप्त कर ली है और सभी सदस्यों को समझा दिया है। प्रत्येक सदस्य को स्थानीय भाषा में मानकों की एक प्रति भी प्रदान की गई है।
- प्रत्येक सदस्य ने समूह के सदस्यों के सामने पीजीएस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं और हम सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि सभी सदस्य पीजीएस-इंडिया दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।
- समूह के सदस्य (नाम और पते के साथ सूची संलग्न करें) पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षक) के रूप में कार्य करने की स्थिति में हैं।
- हम कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा करने और संपर्कों, प्रशिक्षणों या अन्यथा से अर्जित एक दूसरे के अनुभव को साझा करने के लिए दो महीने में कम से कम एक बार (वर्ष में कम से कम 6 बार) समूह की बैठकें आयोजित करने का वचन देते हैं।
- सभी किसानों ने महीनों के समय में पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत मवेशियों के साथ अपनी पूरी भूमि जोत लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
- हम पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम/क्षेत्रीय परिषद द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।

- हम क्षेत्रीय परिषद के निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं और कार्यक्रम की छवि निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
- प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हमने अपनी प्रमाणन टीम का चयन/गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और हम प्रमाणन टीम के सदस्यों को पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- प्रमाणन निर्णयों के अलावा, प्रत्येक टीम के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारी का उल्लेख प्रत्येक नामित व्यक्ति के समक्ष किया गया है:

- श्री समूह नेता,
- श्री प्रशिक्षण और बैठक समन्वयक,
- श्री पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षा) सुविधाकर्ता,
- श्री प्रलेखन प्रभारी,
- श्री जनसंपर्क और आरसी समन्वयक।
- पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए हमारे पास आवश्यक सुविधाएं और सक्षमताएं उपलब्ध हैं और हम इसे स्वयं करेंगे।

या

- हमने डेटा अपलोड करने के लिए एजेंसी (एजेंसी का नाम दें) की सेवाएं ली हैं और संबंधित एजेंसी ने आरसी से सभी आवश्यक विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

या

- हम क्षेत्रीय परिषद से अनुरोध करते हैं कि कृपया ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करें और इसके लिए हम सभी विवरण क्षेत्रीय परिषद को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएंगे (जब समूह किसी योजना के अन्तर्गत न हो)।
- (आरसी का नाम) से अनुरोध है कि कृपया हमारे समूह को अधिकृत स्थानीय समूह के रूप में स्वीकार करें और हमें आवश्यक पंजीकरण, यूजर आईडी और पास वर्ड आदि प्रदान करें।

हस्ताक्षर और नाम

सदस्य 1

सदस्य 2

सदस्य 3

सदस्य 4

सदस्य 5

समूह के नेता के हस्ताक्षर

नाम

पीजीएस-इंडिया के तहत पीजीएस-इंडिया क्षेत्रीय परिषद और स्थानीय समूह के बीच निष्पादित होने वाले समझौते का प्रारूप

(रुपये 20/- या उससे अधिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए)

वर्ष दो हजार के (माह) के दिन को

(क्षेत्रीय परिषद का नाम) (इसके बाद आरसी कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) एक तरफ और

दूसरी तरफ (व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूह का नाम और पता) [इसके बाद कहा जाएगा उक्त एलजी किस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे] के बीच किया गया समझौता।

जबकि उक्त एल.जी./व्यक्तिगत किसान ने पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत पीजीएस-इंडिया परिचालन दिशानिर्देशों और व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूहों के लिए पीजीएस संदर्भ की शर्तों (टी.ओ.आर.) में निर्धारित और विस्तृत विवरण दिया है (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित समय-समय पर किए गए संशोधन/सुधार भी इसमें शामिल और लागू होंगे) ने व्यक्तिगत किसान/एलजी के रूप में पंजीकरण के अनुदान के लिए

क्षेत्रीय परिषद को आवेदन किया है और जबकि

(क्षेत्रीय परिषद का नाम)

(स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) को टी.ओ.आर. में निर्धारित नियमों और शर्तों पर पीजीएस-इंडिया स्थानीय समूह के रूप में अधिकृत करने के लिए सहमत हो गया है, अब यह सहमत है कि:

1. पीजीएस-इंडिया लोकल ग्रुप के रूप में मैसर्स
(स्थानीय समूह नाम/व्यक्तिगत किसान) कार्यकारी सचिव पीजीएस इंडिया प्रोग्राम द्वारा और उसकी ओर से निर्धारित स्थानीय समूहों के लिए परिचालन दिशानिर्देशों और टी.ओ.आर. का पालन करेंगे और
..... (आरसी का नाम) पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम की सच्ची भावना में प्रदर्शन करने का वचन देंगे। उक्त नियम के अनुसार व्यक्तियों या संगठनों के प्रति बिना किसी व्यक्तिगत हित के पूरी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ और इसके द्वारा कार्यकारी सचिव पीजीएस-इंडिया और
(आरसी का नाम) को उल्लंघन की स्थिति में उक्त नियमों के अनुसार कोई भी उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करते हैं।
2. (आरसी का नाम)
एतद्वारा घोषित करता है कि चूंकि (स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) ने पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्धारित सभी आवश्यक आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान के लिए टी.ओ.आर. के अनुसार समूह को पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है।
3. (आरसी का नाम)
उक्त स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान को साहित्य, परिचालन मैनुअल की प्रतियों, मानकों और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में सभी सहायता प्रदान करने का वचन देता है, जिसमें मानकों के कार्यान्वयन, पुनरीक्षण (सहकर्म समीक्षा), समीक्षा परिणामों के विश्लेषण और निर्णय लेने में स्थानीय समूह के सदस्यों/व्यक्तिगत किसान की क्षमता का विकास शामिल है।
4. (स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) निगरानी और सत्यापन के लिए आरसी के अधिकृत व्यक्तियों को सभी दस्तावेजों, खेतों, स्टोर हाउस, प्रसंस्करण इकाइयों, मवेशी घरों, चारा भंडारण आदि के लिए सभी सहायता और पहुंच निरीक्षण प्रदान करने का वचन देता है। स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान हर सीजन के अंत में या साल में कम से कम दो बार आरसी को जरूरी स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान समरी शीट के साथ सभी पीयर अप्रेजल शीट्स की प्रतियां उपलब्ध कराएगा और आरसी द्वारा अधिकृत निगरानी में आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेगा।

5. (स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) घोषणा करते हैं कि वे अपनी सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को आरसी, आँचलिक परिषद या पीजीएस-सचिवालय के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए आसान पहुँच में रखेंगे व सहयोग करेंगे।
6. (आरसी का नाम) और (स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान का नाम) ने आरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वित्तीय भुगतान सहित पारस्परिक कार्य व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है और हमारे समझौते का पालन करने के लिए सहमत हैं।
7. यह समझा जाता है कि स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान या आरसी का भारत सरकार या पीजीएस-भारत सचिवालय से किसी भी वित्तीय सहायता के लिए कोई दावा नहीं होगा।
8. कार्यकारी सचिव, पीजीएस-भारत, सचिवालय को स्थानीय समूहों/व्यक्तिगत किसान के कामकाज की निगरानी, सत्यापन और निगरानी का पूरा अधिकार होगा।
9. (स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान का नाम) पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान के रूप में पंजीकृत होने पर एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वे पीजीएस-इंडिया के अलावा किसी अन्य प्रमाणीकरण प्रक्रिया जिसमें अन्य गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे समान पीजीएस कार्यक्रम भी शामिल हैं वे आरसी/पीजीएस-भारत सचिवालय के पूर्वानुमोदन के हिस्सा नहीं होंगे।

एतद्वारा आगे यह सहमति और घोषणा की जाती है कि
 स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान का नाम और
 आरसी का नाम पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम की छवि निर्माण की दिशा में एक साथ प्रभावी ढंग से काम करेंगे और ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जो कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को कम या धूमिल करे और/या जैविक गारंटी की अखंडता को खतरे/संकट में डाले। इसके अलावा यह भी घोषित किया जाता है कि स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान के किसी भी भागीदार और आरसी का पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक गारंटी प्रक्रिया के कामकाज में हितों का कोई टकराव नहीं है।

हस्ताक्षरित

क्षेत्रीय परिषद

नाम

पता

दिनांक

स्थानीय समूह के नेता/व्यक्तिगत किसान के हस्ताक्षर

नाम

पता

दिनांक

गवाह

गवाह 1 (हस्ताक्षर)

नाम और पता

.....

गवाह 1 (हस्ताक्षर)

नाम और पता

.....

गवाह 2 (हस्ताक्षर)

नाम और पता

.....

गवाह 2(हस्ताक्षर)

नाम और पता

.....

पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूहों के लिए संदर्भ की शर्तें

- व्यक्तिगत किसान/समूह पीजीएस-इंडिया व्यक्तिगत किसान के रूप में पंजीकृत होने पर (इसके बाद आईएफ/एलजी के रूप में संदर्भित) यह सुनिश्चित करेगा कि उसने क्षेत्रीय परिषद को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान की है:
 1. पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत किसान/समूह का आवेदन प्रपत्र
 2. नाम/किसान सदस्यों की सूची व्यक्तिगत आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ और विधिवत हस्ताक्षरित पीजीएस-इंडिया प्रतिज्ञा
 3. निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत सदस्य की फार्म हिस्ट्री शीट।
 4. यदि सभी सदस्य/व्यक्तिगत किसान अपनी पूरी भूमि जोत और पशु/पशुपालन को एक बार में जैविक के तहत परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो 24 महीने के भीतर आवश्यकता को पूरा करने की विस्तृत रूपांतरण योजना
 5. आरसी के साथ करार किया जाना है।
- किसी अन्य पंजीकृत पीजीएस-इंडिया समूह या राज्य सरकार के कृषि/बागवानी विभाग के जिला अधिकारी या स्वयं आरसी या क्षेत्रीय परिषद द्वारा समूह/व्यक्तिगत किसान अनुमोदन की अनिवार्य आवश्यकता है।
- पंजीकरण के समय प्रत्येक किसान को आरसी से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने होंगे
 1. पीजीएस-इंडिया परिचालन मैनुअल की प्रति
 2. स्थानीय भाषा में पीजीएस-इंडिया मानकों की प्रति
 3. सभी प्रपत्रों की प्रति, समकक्ष मूल्यांकन पत्रक और समूह/व्यक्तिगत किसान सारांश पत्र स्थानीय भाषा में
 4. व्यक्तिगत किसान/समूह संचालन मैनुअल, आरसी द्वारा विकसित चेकलिस्ट के साथ (यदि कोई आरसी द्वारा विकसित किया गया हो)
 5. आरसी द्वारा आईएफ/एलजी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और गतिविधियों की सूची।
 6. आर.सी. फसल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, पौधों की सुरक्षा या किसानों के लिए आवश्यक किसी भी अन्य मुद्दों पर तकनीकी साहित्य की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेंगे।
- व्यक्तिगत किसान/एलजी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपने सदस्यों और जैविक खेती और उपभोक्ताओं के अन्य हितधारकों के बीच छवि निर्माण और विश्वास निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
- यदि एक व्यक्तिगत किसान/एलजी में केवल पांच सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य प्रमाणन टीम का हिस्सा होगा। लेकिन अगर समूह बड़ा है तो प्रत्येक व्यक्तिगत किसान को अपनी प्रमाणन टीम चुनने की आवश्यकता है जिसमें पांच सदस्य शामिल हैं:
 1. समूह का नेता
 2. प्रशिक्षण एवं बैठक समन्वयक
 3. पीयर रिव्यू फैसिलिटेटर
 4. प्रलेखन प्रभारी
 5. जनसंपर्क एवं आरसी समन्वयक

ग्रुप लीडर के पद को घुमाने के साथ हर साल प्रमाणन टीम का चुनाव किया जाता है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि समूह का प्रत्येक सदस्य/व्यक्तिगत किसान पुनरीक्षण (सहकर्म समीक्षा) प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हो।
- किसानों का क्षमता निर्माण पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, प्रत्येक व्यक्तिगत किसान मानकों के पूर्ण अनुपालन के लिए समूह के नेताओं/आरसी के परामर्श से पर्याप्त क्षमता निर्माण उपायों को सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक समूह के कम से कम 2 सदस्यों को आरसी द्वारा उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

- ऐसे मामलों में जहां व्यक्तिगत किसान के पास कंप्यूटर या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या व्यक्तिगत किसान डेटा अपलोड करने में असमर्थ हैं, आरसी/एसपी/एफए को उनकी क्षमता विकसित करने में मदद करने की आवश्यकता है या हार्ड कॉपी में संपूर्ण डेटा प्राप्त करने और वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत किसान को कागज पर हार्ड कॉपी में आरसी/एसपी/एफए को सभी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- व्यक्तिगत किसान यह सुनिश्चित करेगा कि आरसी के सदस्य समूह/किसान की सामर्थ्य का आकलन करने और उनकी कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत किसान समूह की बैठकों, व्यक्तिगत किसान प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कुछ पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) यात्राओं में भाग लेंगे।
- यद्यपि संपूर्ण पीजीएस डेटा पीजीएस-इंडिया वेबसाइट में ऑनलाइन होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत किसान यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिकॉर्ड की मूल हार्ड कॉपी जैसे व्यक्तिगत किसान सारांश पत्रक, पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) पत्रक, प्रत्येक सदस्य इतिहास पत्र के साथ व्यक्तिगत किसान आवेदन, किसान कार्यालय में अलग-अलग सदस्य फाइलों में हार्ड कॉपी में भी बनाए रखें।
- व्यक्तिगत किसान गतिविधियों का अर्धवार्षिक कैलेंडर (जैसे प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सहकर्मी मूल्यांकन आदि) तैयार करेगा और प्रभावी समन्वय के लिए सभी समूह सदस्यों और आरसी को सूचित करेगा।
- व्यक्तिगत किसान हर बुवाई के मौसम से पहले वार्षिक या अर्धवार्षिक फसल कैलेंडर भी तैयार करेगा जिसमें गतिविधियों का विवरण होगा और आरसी को समय पर सूचित किया जाएगा।
- आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत किसान को वर्ष में कम से कम 2-4 बार (बारहमासी फसल समूह के लिए 2 बार और वार्षिक फसल समूह के लिए वर्ष में 4 बार) अनिवार्य बैठकें वर्ष के प्रमुख समय पर मौसम, फसलों के आधार आदि पर, अनिवार्य बैठकें करनी होंगी। एक/दो पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) योजना के लिए और एक/दो निर्णय लेने के लिए और उपस्थिति रजिस्टर और बैठक की कार्यवाही का विवरण बनाए। प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठकों में कम से कम आधी भाग लेना आवश्यक है। ऐसी बैठकों में सदस्यों की भागीदारी कार्यक्रम के प्रति सदस्य की प्रतिबद्धता और आरसी द्वारा प्रमाणन निर्णय के अनुमोदन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है।
- सदस्यों की क्षमता का निर्माण जारी रखने के लिए, व्यक्तिगत किसान को कुछ प्रमुख फील्ड डे प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है। आरसी द्वारा प्रमाणन निर्णय के अनुमोदन के लिए कार्यवाही, उपस्थिति के साथ ऐसे प्रशिक्षणों का विवरण भी एक महत्वपूर्ण घटक है।
- व्यक्तिगत किसान किसी भी समय आरसी/एसपी/एफए/ऑंचलिक परिषदों या पीजीएस-भारत सचिवालय के प्रतिनिधियों को उनके दौरे के दौरान निगरानी, पर्यवेक्षण और समूहों की क्षमता मूल्यांकन के लिए अपने खेतों और सदस्यों सहित सभी दस्तावेजों, अभिलेखों और सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच प्रदान करेगा।
- अलग-अलग किसान एक-दूसरे की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली का अध्ययन करके और एक-दूसरे के क्षेत्रों में निगरानी करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग किसानों के बीच आपसी पहचान और सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
- यदि कोई व्यक्तिगत किसान अन्य आरसी में शामिल होना चाहता है, तो समूह को संबंधित आरसी को आवेदन करना होगा या यदि आरसी सहयोग नहीं कर रहा है तो पूरे कारण और औचित्य के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑंचलिक परिषद को आवेदन करना होगा। संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय परिषद/ऑंचलिक परिषद व्यक्तिगत किसान को अन्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल होने की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में आरसी/जेडसी से एनओसी प्राप्त करने के बाद, वे एनओसी की एक प्रति के साथ अन्य आरसी को पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस समूह से संबंधित पूरा रिकॉर्ड उनके अनुरोध पर बिना किसी पूर्वग्रह या शर्त के नए आरसी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

व्यक्तिगत किसान द्वारा पालन की जाने वाली संपूर्ण प्रमाणन प्रक्रिया इस प्रकार है: एलजी/व्यक्तिगत किसान द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

चरण 1

- कम से कम 5 किसानों (निरंतर क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित) का एक समूह बनाएं/यदि कोई एकल किसान है, वह स्वतंत्र रूप से स्थानीय उपलब्ध एलजी के साथ भाग ले सकता है।
- सभी सदस्यों से पंजीकरण और कृषि इतिहास पत्रक एकत्र करें।
- निकटतम आरसी से पीजीएस मानकों और पीजीएस परिचालन दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करें और सभी सदस्यों को वितरित करें। इन दस्तावेजों को पीजीएस वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- सभी सदस्यों की बैठक बुलाएं और सभी सदस्यों को प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।
- पीजीएस-इंडिया मानदंडों के व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर किसानों द्वारा संधारित किये जाने वाले विस्तृत दस्तावेजों सहित पुनरीक्षण (सहकर्म मूल्यांकन) पद्धति और मूल्यांकन की जाने वाले जाँच बिन्दू का विवरण देते हुए (व्यक्तिगत किसान/एलजी परिचालन मैनुअल) तैयार करें।
- सुनिश्चित करें कि समूह सदस्य/किसान अपनी पूरी भूमि जोत और पशुधन को जैविक में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि कुछ सदस्य अपनी भूमि को चरणों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी इकाइयों को जैविक इकाइयों से अलग करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाएं। साथ ही चरणबद्ध परिवर्तन की योजना बनाकर क्षेत्रीय परिषद से स्वीकृत कराएं। पीजीएस-इंडिया के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को समूह में पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के भीतर अपनी पूरी भूमि को पशुधन के साथ जैविक में लाना होता है।
- यदि पीजीएस-इंडिया समूह के तहत कोई किसान निर्धारित 24 महीने के भीतर अपनी पूरी भूमि जोत और पशुधन को परिवर्तित करने में विफल रहता है, तो वह पीजीएस जैविक प्रमाणीकरण के लिए पात्र नहीं होगा और रूपांतरण के तहत बना रहेगा।
 - समूह गठन को सत्यापित करने और आवश्यक सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पहले से पंजीकृत किसी अन्य व्यक्तिगत किसान को आमंत्रित करें। यदि पास में कोई अन्य पीजीएस-व्यक्तिगत किसान नहीं है, तो स्थानीय एसपी/एफए/राज्य कृषि कार्यालय से संपर्क करें, जैविक कृषि पर समूह के सामर्थ्य का प्रदर्शन करें और समर्थन प्राप्त करें। इन सभी के न होने पर क्षेत्रीय परिषद आवेदन करें और क्षेत्रीय परिषद से सत्यापन करने का अनुरोध करें।
- व्यक्तिगत किसान को केवल एक बार अनुमोदित होने की आवश्यकता है और आगे नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि बार-बार समस्याएं होती हैं (जैसे: कागजी कार्रवाई के अभाव में, एक यादृच्छिक (रैंडम) कीटनाशक निरीक्षण एक समस्या बन जाता है, एक यादृच्छिक (रैंडम) निरीक्षण एक समस्या बन जाता है, आदि) तो उन्हें भंग/प्रतिबंधित किया जा सकता है और उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा और क्षेत्रीय परिषद द्वारा गहन सत्यापन और आवश्यक सुधार करने के बाद ही पुनः प्रवेश प्राप्त हो सकता है।
- पीजीएस वेबसाइट पर समूह को ऑनलाइन पंजीकृत करें। यदि समूह के पास कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर/इंटरनेट कैफे की सेवाएं ली जा सकती हैं। वैकल्पिक तौर पर सभी फॉर्म भरें और पीजीएस वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के लिए आरसी को जमा कर सकते हैं।
- शुल्क भुगतान के आधार पर (पारस्परिक समझौते के अनुसार) सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आरसी के साथ समझौता करें।

चरण 2

- समूह बैठकों, प्रमुख क्षेत्र प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने पर पीजीएस दिशानिर्देशों का पालन करें।
- पड़ोसी किसान के खेतों पर निगरानी रखें और यदि कुछ गैर-अनुपालन पाए जाते हैं तो समूह की बैठकों/व्यक्तिगत किसान मामले के दौरान समूह के अन्य सदस्यों को सूचित करें व आरसी नियमित निरीक्षण करें।
- एसपी/एफए/जेडसी/आरसी/आईसीएआर आदि के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय पर आयोजन सुनिश्चित करें।
- प्रमुख प्रशिक्षणों और बैठकों के दौरान प्रबंधन मुद्दों जैसे पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि में समस्या समाधान के लिए जैविक किसानों और अन्य स्थानीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करें।
- बैठक और प्रमुख क्षेत्र प्रशिक्षणों के लिए उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखें।

- यदि सदस्य किसान ऑफ-फार्म आदानों का उपयोग कर रहे हैं या उनका उपयोग करने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो उनकी जैविक स्थिति को सत्यापित करें, बैठकों में चर्चा करें और उनके उपयोग का समर्थन या निषेध करें। समूह/आरसी/जेडसी अनुमोदन के बिना ऐसे इनपुट का उपयोग गैर-अनुपालना के रूप में माना जाएगा।

चरण 3

- समकक्ष मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करें और समकक्ष मूल्यांकन समूहों/सदस्यों का गठन करें। प्रत्येक पुनरीक्षण (सहकर्म निरीक्षण) में कम से कम 3 पुनरीक्षक (समकक्ष मूल्यांकक) होने चाहिए। किसानों की संख्या के आधार पर तीन या अधिक सदस्यों वाली कोई भी मूल्यांकन टीम हो सकती है। मूल्यांकन टीम में कम से कम एक सदस्य साक्षर होना चाहिए और मूल्यांकन प्रपत्र भरने में पारंगत होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रमाणीकरण के मामले में आरसी स्टाफ/सदस्यों की पुनरीक्षण (सहकर्म निरीक्षण) में भागीदारी आवश्यक है।
- दो सदस्यीय समूह फार्मों के बीच पारस्परिक समीक्षा की अनुमति नहीं है (अर्थात A, B की समीक्षा करता है और B, A की समीक्षा करता है)।
- अन्य एलजी समूह के पुनरीक्षक (सहकर्म समीक्षकों) या उपभोक्ताओं/व्यापारियों के प्रतिनिधियों या स्थानीय राज्य कृषि विभाग के अधिकारी को सहकर्म समूह के आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करें (लेकिन उनकी भागीदारी अनिवार्य नहीं है)। इससे समूह/व्यक्तिगत गारंटी का विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ती है।
- प्रत्येक मौसम में कम से कम एक बार सभी फार्मों की संपूर्ण समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि सभी खेतों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा की गई है।
- बैठकों में समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करें और एक-एक करके प्रत्येक खेत की जैविक स्थिति पर निर्णय लें।
- सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसान/किसानों को अलग-अलग करें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उन पर विचार करें।
- अनुपालन न करने वाले किसानों के बारे में चर्चा करें और गैर-अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर प्रतिबंध जारी करें।

चरण 4

- मूल्यांकन पेपर वर्क की पूर्णता की जाँच की जाती है और एक व्यक्तिगत किसान/एलजी सारांश वर्कशीट तैयार की जाती है।
- समूह या प्रमाणन समिति प्रमाणन पर निर्णय लेती है और प्रमाणन की स्थिति की घोषणा करती है।
- पीजीएस वेबसाइट में सभी विवरण ऑनलाइन दर्ज करें और पीयर इंस्पेक्शन सह सारांश वर्कशीट की हस्ताक्षरित प्रति आरसी को भेजें। वैकल्पिक रूप से पीजीएस वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए आरसी को सारांश शीट की हस्ताक्षरित प्रति के साथ हार्ड कॉपी में सभी विवरण भेजें।
- क्षेत्रीय परिषद हार्ड कॉपी या ऑनलाइन में दिए गए विवरण की जांच करें। अनुमोदन पर निर्णय लेते समय आरसी निगरानी रिपोर्ट (यदि कोई हो), प्राप्त शिकायतें, अवशेष विश्लेषण रिपोर्ट इत्यादि को ध्यान में रखता है। आरसी प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विशिष्ट किसानों को शामिल न करने या शामिल करने का निर्णय नहीं ले सकता है, यह केवल संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत किसान के प्रमाणीकरण का अनुमोदन या गैर-अनुमोदन पर निर्णय ले सकता है। संतुष्ट होने पर आवश्यक स्वीकृति ऑन लाइन प्रदान करता है।
- समूह प्रलेखा प्रभारी पीजीएस वेबसाइट से प्रमाण पत्र प्रिंट करता है और अलग-अलग किसानों को वितरित करता है। वैकल्पिक तौर पर, व्यक्तिगत किसान आरसी से प्रमाण पत्र प्रिंट करने और वितरण के लिए समूह के नेता को भेजने का अनुरोध कर सकता है।

केवल वे किसान जिन्होंने बिना किसी बड़े या गंभीर गैर-अनुपालन के पूर्ण रूपांतरण अवधि पूरी कर ली है, उन्हें "पीजीएस-ऑर्गेनिक" घोषित किया जाएगा। जिन किसानों का एक या अधिक प्रमुख गैर-अनुपालन है या वे रूपांतरण अवधि के अंतर्गत हैं, उन्हें "पीजीएस-ग्रीन" घोषित किया जाएगा। केवल समूह में शामिल होने के बाद बोई गई फसलें, पीजीएस मानकों के अनुरूप पीजीएस प्रतिज्ञा लेते हुए और पुनरीक्षकों (सहकर्म समीक्षकों) की सिफारिशों के अनुसार पीजीएस मानक आवश्यकताओं के पूरी तरह से अनुरूप "पीजीएस-ग्रीन" के लिए योग्य होंगी। एक ही मुद्दे पर लगातार तीन अनुपालना हेतु निर्देशों के जारी होने पर सदस्य की स्थिति बदली जा सकती है।

- **प्रमाणन निर्णय देने की समय सीमा**

आरसी को व्यक्तिगत किसान-सारांश शीट अपलोड करने या समूह निर्णय की हार्ड कॉपी आरसी को जमा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रमाणन अनुरोध पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि आरसी 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत किसान के निर्णय का समर्थन करने में विफल रहता है तो आंचलिक परिषद को हस्तक्षेप करने और अगले 7 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि जेडसी भी हस्तक्षेप करने और समय पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो समूह निर्णय के लिए पीजीएस सचिवालय से संपर्क कर सकता है।

हस्ताक्षर

लीड संसाधन व्यक्ति का नाम/समूह का नेता :।

तारीख

स्थानीय समूह का अनुमोदन

विवरण		विवरण और टिप्पणियाँ
1.	अनुमोदन करने वाली एजेंसी का नाम / एस.पी. / एफ.ए.	
2.	राज्य सरकार प्राधिकरण	
3.	पीजीएस स्थानीय समूह	
4.	क्षेत्रीय परिषद	
अनुमोदित किए जा रहे समूह का नाम :		
अनुमोदन की तिथि		
समूह दिशा-निर्देशों के अनुसार पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम लेने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं		हाँ / नहीं
समूह का गठन पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करता है और जैविक के लिए पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा किया जाता है।		हाँ / नहीं
समूह के कुछ सदस्य पीजीएस मानकों, परिचालन आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और पुनरीक्षण (सहकर्म मूल्यांकन) कर सकते हैं।		हाँ / नहीं
कृपया विवरण प्रदान करें कि समूह किस प्रकार से ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का कार्य करने का प्रस्ताव करता है।		स्वामित्व / एसपी / एफए / राज्य सरकार की एजेंसी / क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से

मैं/हम (अनुमोदक का नाम और पता) आश्वस्त है/हैं कि समूह किसान जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पीजीएस-इंडिया परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है, कम से कम कुछ सदस्य/किसान मानकों और सहकर्म मूल्यांकन रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं और पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक गारंटी योजना की कार्यान्वयन रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। समूह के सदस्य/किसान को जानते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। अतः पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रदान करने हेतु अनुमोदन करते हैं।

तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
(अनुमोदक का नाम और पता)

टेंटेटिव सर्टिफिकेशन टीम

स्थानीय समूहों का नाम :
 किसानों की सूची (समूह के सदस्य)

क्रमांक	किसान का नाम	शिक्षा	अनुभव

नोट: यह स्थानीय समूह के सदस्यों के बीच किसान का अस्थायी संकेत है जो खेती वाले खेतों का निरीक्षण कर सकता है और पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) विवरण दस्तावेज कर सकता है। युवा और शिक्षित किसान (पुरुष और महिला दोनों) इस गतिविधि को कर सकते हैं। यह बाद में स्थानीय समूह की आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है।

बैठकों के लिए कार्यवाही और उपस्थिति रजिस्टर

1. स्थानीय समूह का नाम
2. एलजी सदस्यों की कुल संख्या
3. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
4. बैठक की तिथि और समय
5. अन्य सदस्यों ने बैठक में भाग लिया

क्रमांक	नाम	पता/संगठन	मोबाइल नंबर

6. महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा और योजना (यदि कोई हो)

.....

.....

.....

.....

.....

कोई भी इनपुट (ऑफ फार्म) जैविक कृषि का उपयोग करने के लिए स्वीकृत

क्रमांक	इनपुट का नाम	विनिर्माण विवरण	कार्बनिक/अकार्बनिक	एनसीओएफ/आरसीओएफ/एनपीओपी के तहत स्वीकृत

7. अगले दो महीनों के लिए पीयर मूल्यांकन की योजना (एकल सहकर्मि निरीक्षण समिति के लिए न्यूनतम चार सदस्य होने चाहिए)

[illegible]

उपस्थिति पत्रक

[illegible]

पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण)/क्षेत्र निरीक्षण मूल्यांकन कार्यपत्रक

1. स्थानीय समूह का नाम.....
2. स्थानीय समूह कोड संख्या.....
3. कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर).....
4. मौसम के लिए सहकर्मी मूल्यांकन.....
5. वर्ष.....
6. माह.....
7. प्रति मूल्यांकक/निर्णय लेने वाली समिति के सदस्यों के नाम :

.....

.....

.....

8. समकक्ष निरीक्षण में भाग लेने वाले बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं के नाम:

क्रमांक	नाम	मोबाइल नंबर	पता	सदस्य (आरसी/राज्य/सरकार/ उपभोक्ता/व्यापारी/अन्य)

9. अवधि जिसके लिए सहकर्मी मूल्यांकन किया गया:
(दिन/माह/वर्ष) सेसे (दिन/माह/वर्ष)
10. फसल उत्पादन विवरण:

क्रमांक	किसान का नाम	बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	फसल का नाम	अपेक्षित उपज (क्विंटल)	स्वयं उपभोग के लिए उपयोग की मात्रा (क्विंटल)	विपणन के लिए शेष कुल मात्रा (क्विंटल)

11. बिंदुओं के आधार पर समूह में सभी समूह के सदस्यों का पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण) मूल्यांकन और यदि किसान ने जैविक खेती में कोई दोष किया है तो प्रतिबंध यदि कोई हो:

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
1. पर्यावास प्रबंधन			1. कोई विविधता वृक्षारोपण नहीं— विविध पर्यावास निर्माण के लिए विभिन्न वृक्षा रोपण के एकीकरण की आवश्यकता है। 2. कोई वर्षा जल संरक्षण नहीं — वर्षा जल के संचयन और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय 3. विभाजित उत्पादन — • गैर-जैविक कृषि क्षेत्र को भी जैविक समानांतर उत्पादन के तहत लाया जाए। • जैविक और गैर-जैविक के एक ही फसल के उत्पादों का रख रखाव पर्याप्त उपायों के साथ किया जाना चाहिए और भविष्य में कोई समानांतर उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए 4. अन्य कारण निर्दिष्ट करें
2. विविधता			1. केवल मोनोक्रॉपिंग (एकल फसल) की गई— मोनोक्रॉपिंग को अगले सीजन से बहु-फसल से बदल दिया जाए। 2. अंतरफसल और फसल चक्र का पालन नहीं किया जा रहा है— एकीकृत दलहन अंतरफसल और प्रत्येक भूखंड में 3-4 साल का फसल चक्र अपनाएं। 3. हरी खाद नहीं डाली — 2-3 साल में कम से कम एक बार हरी खाद जरूर लें। 4. जैविक खाद का उपयोग नहीं हो रहा है — मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में जैविक खाद का प्रयोग करें 5. अन्य कारण कृपया निर्दिष्ट करें:

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
3. पशुधन का एकीकरण			1. कोई पशुधन नहीं – गोबर-मूत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुधन को बनाए रखें 2. ऑफ-फार्म स्रोतों से पशुधन उत्पादों का उपयोग करना – अखंडता के लिए खतरा। अपना खुद का पशुधन बनाए रखें। 3. अन्य कारण निर्दिष्ट करें
4. मृदा और जल संरक्षण			1. अप्रबंधन से मृदा अपरदन की संभावना— मृदा अपरदन से बचने के लिए समेकित संरक्षण उपाय करें। 2. प्रक्रियाएं मिट्टी और जल प्रदूषण के लिए खतरा पैदा करती हों— मिट्टी और जल प्रदूषण में योगदान देने वाली प्रक्रियाएं न करें। 3. फसल अवशेष/बायोमास को खेतों में जलाना – अगले सीजन से कोई बायोमास नहीं जलाना है। 4. खेती के लिए जंगल की सफाई – यह निषिद्ध गतिविधि है। प्रभावित क्षेत्र की उपज जैविक के लिए योग्य नहीं होगी। 5. अन्य कारण निर्दिष्ट करें

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
5. संदूषण नियंत्रण			- बारिश के पानी के दूषित होने का खतरा, लेकिन अभी तक प्रदूषण के कोई संकेत नहीं —मामूली गैर-अनुपालन — सुरक्षात्मक बांध/मेंड बनाएं। - पारंपरिक क्षेत्रों से वर्षा जल संदूषण के साक्ष्य — प्रमुख गैर-अनुपालन - नहीं या अपर्याप्त बफर जोन — प्रमुख गैर-अनुपालन - कटाई/अंतिम उपज को पर्याप्त पृथक्करण के बिना एक ही भंडारगृह में भंडारण करना लेकिन अलग से पहचाना जाता है — अच्छी तरह से परिभाषित अलगाव के साथ भंडारण — मामूली गैर अनुपालन - भंडारण की स्थिति अपर्याप्त है और अखंडता के लिए खतरा है — प्रमुख गैर-अनुपालन - बिना सफाई के एक ही थ्रेसिंग फ्लोर/फार्म मशीनरी का उपयोग करना — प्रमुख गैर-अनुपालन - अन्य कारण निर्दिष्ट करें
6. बीज और रोपण सामग्री			- रासायनिक उपचार के साथ प्रयुक्त अजैविक बीज — प्रमुख गैर-अनुपालन। - खरीदे गए बीज का इस्तेमाल किया लेकिन रासायनिक उपचार पर कोई स्पष्टता नहीं — प्रमुख गैर-अनुपालन। - प्रयुक्त खरीदे गए बीज, उपचारित नहीं लेकिन समूह की स्वीकृति नहीं मिली — मामूली गैर-अनुपालन — भविष्य में मानक मानदंडों का पालन करें। - प्रयुक्त जीएमओ बीज/रोपण सामग्री — प्रमुख गैर-अनुपालन। - अन्य कारण निर्दिष्ट करें।

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
7. उर्वरीकरण			1. गुणवत्ता के सत्यापन के बिना उपयोग की जाने वाली ऑफ-फार्म कम्पोस्ट/जैविक खाद—प्रमुख गैर-अनुपालन। 2. कम्पोस्ट/गोबर-मूत्र का घोल खेत पर बनाया गया था जो कि पूरी तरह से (फर्मेंटिड) किण्वित/कम्पोस्ट नहीं किया गया था — मामूली गैर-अनुपालन — भविष्य में किण्वन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। 3. ऑफ-फार्म आदानों का उपयोग किया गया लेकिन मानकों के अनुपालन के लिए विवरण/अनुमोदन नहीं है — प्रमुख गैर-अनुपालन। 4. रासायनिक उर्वरक का संदिग्ध उपयोग — प्रमुख गैर-अनुपालन। 5. निषिद्ध पदार्थों का संदिग्ध उपयोग (हार्मोन, रसायनों से दूषित ऑफ फार्म इनपुट या अपरिभाषित संरचना के ऑफ फार्म इनपुट और एनपीओपी के तहत अनुमोदित नहीं — प्रमुख गैर-अनुपालन। 6. जीएमओ सामग्री/कच्चे माल वाले उर्वरक उत्पाद का संदिग्ध उपयोग— प्रमुख गैर-अनुपालन। 7. सीवेज/कीचड़, मानव मल या उनके उत्पादों का संदिग्ध उपयोग — प्रमुख गैर अनुपालन। 8. खेत में मिला मानव मल— मामूली गैर-अनुपालन —पर्याप्त उपाय करें। 9. अन्य कारण निर्दिष्ट करें।

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
8. कीट प्रबंधन			1. रासायनिक कीटनाशक, हार्मोन, वृद्धि प्रवर्तक या किसी अन्य निषिद्ध पदार्थ का संदिग्ध उपयोग – प्रमुख गैर-अनुपालन। 2. खरीदे गए जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल किया लेकिन एनपीओपी के तहत अनुमोदित नहीं – प्रमुख गैर-अनुपालन। 3. जीएमओ स्रोत से सामग्री वाले फॉर्मूलेशन का उपयोग – प्रमुख गैर-अनुपालन। 4. भंडारण में रासायनिक फ्यूमिगेंट्स का उपयोग – प्रमुख गैर-अनुपालन। 5. अन्य कारण निर्दिष्ट करें।
9. औजारों और उपकरणों की सफाई			1. सभी कृषि उपकरण, यन्त्र, गोदाम, स्टोर, हैंडलिंग क्षेत्र, प्रसंस्करण इकाइयां आदि कीटाणुरहित हैं। 2. कटाई के बाद उत्पादों का संपूर्ण परिचालन और संचालन क्षेत्र उचित सफाई/धुलाई के माध्यम से कीटों और संदूषण से मुक्त रखा जाता है। 3. अन्य कारण निर्दिष्ट करें।

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
10. भंडारण और परिवहन			- कार्बनिक उत्पादों को अकार्बनिक के साथ संग्रहित और परिवहन नहीं किया जाएगा। - किसी भी सिंथेटिक परिरक्षकों, रसायनों, फ्यूमिगेंट्स आदि या भंडारण सहायता का उपयोग नहीं किया जाएगा। - जैविक उत्पाद के लिए थोक भंडार पारंपरिक उत्पाद भंडार से अलग होना चाहिए और स्पष्ट रूप से उस प्रभाव के लिए लेबल किया जाना चाहिए। - पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जैविक खाद्य उत्पादों को दूषित नहीं करती है जब तक कि संदूषण या घुल-मिलने की कोई संभावना न हो। - पैकेजों को इस तरह से बंद किया जाएगा कि सामग्री का प्रतिस्थापन बिना हेरफेर या सील के नुकसान के हासिल नहीं किया जा सके। - इनपुट और कृषि उपज दोनों के लिए समय और स्थान अनुसार अलग-अलग भंडारण बनाए रखा जाए। - अन्य कारण निर्दिष्ट करें

क्रमांक	किसान का नाम	मेजर या माइनर फॉल्ट (बिंदु 1 से 6: माइनर माना जाता है: पीजीएस ग्रीन स्टेटस बदलता रहता है, इसे घटाया जा सकता है। प्वाइंट 7 से 10 तक : मेजर माना जाता है, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा)	अंतिम स्कोप प्रमाण पत्र के अनुसार रूपांतरण अवधि की स्थिति (पीजीएस ग्रीन 1/2/3/4/5/6) या पीजीएस जैविक

घोषणा

हम स्थानीय समूह के सदस्य/निर्णय समिति के सदस्य एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमने सभी एवं प्रत्येक सदस्य का मूल्यांकन कर लिया है और गहन मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन पत्रक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करते हैं । हम स्थानीय समूह के सदस्य/निर्णय समिति के सदस्य एतद्वारा घोषणा करते हैं कि संपूर्ण पीजीएस-इंडिया प्रक्रियाओं को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपात के सच्ची भावना से लागू किया गया है। हम स्थानीय समूह के सदस्य/निर्णय समिति के सदस्य समझते हैं कि यदि कोई जानकारी सत्य नहीं पाई जाती है तो पूरे समूह की प्रमाणन स्थिति रद्द कर दी जाएगी।

समूह के नेता के हस्ताक्षर
समूह के नेता का नाम
तारीख :

प्रशिक्षण का शीर्षक :

.....

- पीजीएस स्थानीय समूह का नाम :
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या :
- प्रशिक्षण का स्थान :
- प्रशिक्षण की तिथि/माह/वर्ष और प्रशिक्षण की अवधि :
- प्रशिक्षण का विषय और विषय वस्तु :
- आमंत्रित विशेषज्ञ व्यक्तियों का विवरण :

क्रमांक	नाम	पद	पता	मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर

- प्रशिक्षण का आयोजन करवाने वाले का विवरण :

क्रमांक	संगठन का नाम	पता	मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर

- उन विषयों का शीर्षक जिन पर प्रशिक्षण दिया गया और चर्चा की गई

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

उपस्थिति पत्रक

[illegible]